न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़ राज.

बइजलास – श्री सन्तोष कुमार मीना (आर.ए.एस.)

प्रकरण सं. 10 / 2022 / अपील

उनवान

1. कनकमाला पत्नि सुरेश चन्द जाति जैन नि. पिडावा तहसील पिडावा

— अपीलांटस

बनाम

1. जाकिर हुसैन पि. नन्नाभाई जाति मुसलमान नि. भवानीमण्डी जिला झालावाड
2. मोहम्मद हुसैन पि. जमील हुसैन जाति मुसलमान नि. भवानीमण्डी जिला झालावाड
3. वसीम चौधरी पि. जहूर अहमद जाति मुसलमान नि. भवानीमण्डी जिला झालावाड
4. सरपंच ग्राम पंचायत ओडियाखेडी पंचायत समिति पिडावा मु0सुनेल

— रेस्पोडेन्टस

अपील बनाराजगी आदेश दिनांक 20.03.2015

नामा0सं. 512 एवं ग्राम पंचायत ओडियाखेडी

उपस्थित :– वकील अपीलांटस – श्री सुभाष दांगी

रेस्पोडेन्टस – श्री कालूराम मेघवाल

आदेश दिनांक : 28/09/2022

प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांटस ने ग्राम पंचायत ओडियाखेडी द्वारा निर्णित नामा.सं. 512 दिनांक 20.03.2015 के विरूद्ध अपील पेश कर निवेदन किया कि ग्राम राजपुरा प0म0मायाखेडी की आराजी ख.नं. 52 रकबा 3 बीघा 13 बिस्वा में से 1 बिस्वा भूमि रोड से लगवा 23 फीट चौडाई की भूमि रेस्पोडेन्टस सं. 1 लगायत 3 से जरिये रजिस्टर्ड बयनामा खरीद कर मौके पर कब्जा प्राप्त किया है परन्तु उक्त विक्रय पत्र में ततसमय लिपिकीय त्रुटि वश ख.नं. 52 के बजाय रेस्पोडेन्टस के खाते का दूसरा ख.नं. 51 रकबा 4 बीघा 2 बिस्वा अंकित हो गया जिससे अपीलांटस द्वारा खरीद की गई भूमि ख.नं. 52 के बजाय ख.नं. 51 में नामा.सं. 512 से खातेदारी दर्ज हो गई इसलिये नामा.सं. 512 गलत दर्ज होने से निरस्त योग्य है।

COURT 2022 25

(सन्तोष कुमार मीना,
उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा जिला झालावाड़

Signature Not Verified
Digitally signed by Santosh Kumar Meena
Date: 2022.10.04 11:04:46 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

इस बात की जानकारी होने पर अपीलांटस ने रेस्पोडेन्टस से शुद्धि पत्र ग्राम राजपुरा के ख.नं. 51 रकबा 4 बीघा 2 बिस्वा के स्थान पर वास्तविक रूप से बेचान किया गया ख.नं. 52 रकबा 3 बीघा 13 बिस्वा का पढा जाने का दिनांक 11.11.2019 को पंजीयन करवाया जिसका वर्तमान ख.नं. 312/308 रकबा 0.8853 हेक्टर है। जिस कारण लिपिकीय त्रुटि से ख.नं. 51 के संबंध में खोला गया नामा.सं. 512 निरस्त किया जाकर शुद्धि पत्र पंजीयन अनुसार ख.नं. 52 वर्तमान ख.नं. 312/308 रकबा 0.8853 हेक्टर में से 0.0126 हेक्टर भूमि अपीलांटस के खाते दर्ज किये जाने का आदेश फरमाया जावे।

अधिनस्थ न्यायालय ग्राम पंचायत ओडियाखेडी का आदेश त्रुटिपूर्ण विधि विरूद्ध प्राकृतिक न्याय के खिलाफ है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा मौके पर कय आराजी का कब्जे की जांच किये बिना नामान्तरण तस्दीक किया। अपीलांटस द्वारा बेचान पत्र दिनांक 02.01.2015 में कय भूमि सुनेल पिडावा रोड से लगवा होना अंकित किया परन्तु ख.नं. 51 का गलत अंकन हो गया। ख.नं. 51 की भूमि रोड से लगवा नहीं होकर पीछे की ओर है।

अपीलांटस द्वारा हल्का पटवारी को शुद्धि पत्र पंजीयन के आधार पर नामान्तरण दर्ज करवाने की कही परन्तु उन्होने गलत नामान्तरण को निरस्त करवाये बिना शुद्धि पत्र पंजीयन के आधार पर नामान्तरण दर्ज किये जाने में असमर्थता जाहिर की।

अतः अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाकर आदेश ग्राम पंचायत ओडियाखेडी का आदेश दिनांक 20.03.2015 नामा.सं. 512 खारीज कर ग्राम राजपुरा की आराजी ख.नं. 52 वर्तमान ख.नं. 312/308 रकबा 0.8853 हेक्टर में से 0.0126 हेक्टर भूमि रोड से लगी हुई 23 फीट चौडाई की शुद्धि पत्र अनुसार अपीलांटस के पक्ष में नामान्तरण दर्ज करने का आदेश प्रदान किया जावे। अपील के साथ ग्राम राजपुरा के नामा.सं. 512 , जमाबंदी सं. 2074–77 के खाता सं. 147 , 166 की नकल , खसरा गिरदावरी नकल ,नक्शा ट्रेस नकल , शुद्धि पत्र दि. 11.11.2019 , बेचान पत्र दि. 02.01.2015 की प्रति पेश की।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्टस को जरिये सम्मन तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट सं. 1 लगायत 4 की ओर से एडवोकेट श्री कालूराम मेघवाल द्वारा स्वीकारात्मक जवाब पेश किया।

COURT 2022

Signature Not Verified

Digitally signed by Santosh Kumar Meena
Date: 2022.10.04 11:04:46 IST
Reason: SelfAttested

(सन्तोष कुमार मीना)
उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा जिला झालावाड़

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़

वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

पत्रावली का अवलोकन किया गया जिसमें यह पाया कि ग्राम राजपुरा प0म0मायाखेडी की आराजी ख.नं. 52 रकबा 3 बीघा 13 बिस्वा में से 1 बिस्वा भूमि रोड से लगवा 23 फीट चौडाई की भूमि अपीलांटस द्वारा रेस्पोडेन्टस सं. 1 लगायत 3 से जरिये रजिस्टर्ड बयनामा खरीद कर मौके पर कब्जा प्राप्त किया है परन्तु उक्त विकय पत्र में ततसमय लिपिकीय त्रुटि वश ख.नं. 52 के बजाय रेस्पोडेन्टस के खाते का दूसरा ख.नं. 51 रकबा 4 बीघा 2 बिस्वा अंकित हो गया जिससे अपीलांटस द्वारा खरीद की गई भूमि ख.नं. 52 के बजाय ख.नं. 51 में नामा.सं. 512 से खातेदारी दर्ज हो गई। अपीलांटस द्वारा उक्त गलती को शुद्ध करवाने हेतु दिनांक 11.11.2019 को शुद्धि पत्र का पंजीयन करवाया। वर्तमान राजस्व रिकार्ड अनुसार ख.नं. 52 का नया नं. 312/308 रकबा 0.8853 हेक्टर है जिसमें से अपीलांटस द्वारा कय की गई एवं शुद्धि पत्र अनुसार सुनेल पिडावा रोड से लगी हुई 0.0126 हेक्टर भूमि कय की है। इस प्रकार रजिस्टर्ड बयनामा दिनांक 02.01.2015 में खसरा नं. लिखने की लिपिकीय त्रुटि होने से विकेता खातेदार की अन्य भूमि केता खातेदार के नाम नामा.सं. 512 से दर्ज हो गई जो कि सही नहीं है।

अतः प्रस्तुत अपील अपीलांटस स्वीकार की जाकर ग्राम राजपुरा पटवार मण्डल मायाखेडी की आराजी ख.नं. 51 के संबंध में दर्ज नामा.सं. 512 दि. 20.03. 2015 को निरस्त किया जाता है एवं तहसीलदार पिडावा को प्रकरण रिमाण्ड कर आदेशित किया जाता है कि केता खातेदार द्वारा मुताबिक शुद्धि पत्र कय की भूमि के संबंध में समुचित जांच कर नये सिरे से नामान्तरकरण दर्ज करना सुनिश्चित करें एवं विकेता खातेदार की ख.नं. 51 की भूमि अपीलांटस के खाते से हटाकर पुनः रेस्पोडेन्टस खातेदार के नाम दर्ज करें।

निर्णय आज मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार हो।

(सन्तोष कुमार मीना)
उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा
जिला झालावाड़ (राज.)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़

पिड़ावा जिला झालावाड़

COURT 2022

Signature Not Verified
Digitally signed by Santosh Kumar Meena
Date: 2022.10.04 11:04:46 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner